

**जबलपुर - रुपये 2,20,12,460.00 मूल्य के खाद्यान्न की
अफ़रातफ़री कर धोखाधड़ी करने और अफ़रातफ़री की गई मात्रा को
पीओएस मशीन/पोर्टल से अवैधानिक रूप से घटाने के अपराधिक कृत्य के लिए
11 राशन दुकान के 29 संचालकगण और 04 शासकीय सेवक सहित
33 व्यक्तियों के विरुद्ध FIR**

माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 14701/2023 श्री रामकिशोर काछी एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं एवं 20270/2023 श्री राजू चौधरी एवं विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि जबलपुर नगरनिगम क्षेत्र की 11 राशन दुकानों का खाद्य विभाग के अधिकारियों ने खाद्यान्न का स्टॉक एडजस्टमेंट कर दिया है, अतः उसी आधार पर याचिकाकर्ताओं की राशन दुकानों के खाद्यान्न के स्टॉक का भी एडजस्टमेंट किया जाए।

स्टॉक एडजस्टमेंट की कार्यवाही खाद्य संचालनालय से की जाती थी। प्रश्नगत दुकानों का स्टॉक एडजस्टमेंट खाद्य संचालनालय द्वारा नहीं किया गया था। अतः कमिश्नर (फ़ूड) द्वारा प्रकरण की जांच NIC हैदराबाद से कराई गई।

NIC हैदराबाद द्वारा जांच कर कमिश्नर (फ़ूड) को अवगत कराया कि -

- जबलपुर जिले की 11 उचित मूल्य की दुकानों पर संचालित पीओएस मशीन/पोर्टल से दिनांक 31.08.2022, 05.09.2022, 29.09.2022, 31.10.2022 को AePDS पोर्टल के स्टेट एडमिन लॉगिन का उपयोग करते हुए 391.780 मेट्रिक टन गेहूं, 338.789 मेट्रिक टन चावल, 3.027 मेट्रिक टन नमक और 0.97 मेट्रिक टन शक्कर का स्टॉक कम किया जाना पाया गया है।
- स्टॉक कम करने के लिए, स्टेट एडमिन लॉगिन का उपयोग, आईपी एड्रेस क्रमांक 27.56.249.185 एवं 157.34.236.76 से किया गया है। आईपी एड्रेस क्रमांक 27.56.249.185 एवं 157.34.236.76 संचालनालय खाद्य की नहीं हैं और ना ही संचालनालय स्तर से उक्त उचित मूल्य दुकान का स्टॉक कम किया गया है।
- उक्त आईपी एड्रेस का उपयोग जबलपुर नगर निगम क्षेत्र के यूजर आई.डी. jso_2363702 एवं jso_23637 के द्वारा किया जाता है।
- स्पष्ट है कि इन यूजर आईडी (jso_2363702 एवं jso_23637) द्वारा उक्त आईपी एड्रेस (27.56.249.185 एवं 157.34.236.76) का उपयोग करते हुए पीओएस मशीन/पोर्टल से राशन सामग्री का स्टॉक कम किया गया है।

आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 5356/खाद्य/2024 भोपाल दिनांक 10.10.2024 द्वारा लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत आवंटित सामग्री के स्टॉक की अफ़रातफ़री कर अनाधिकृत लाभ अर्जित करने वालों की जांच कराई जाकर आरोपियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु कलेक्टर जबलपुर को निर्देशित किया गया।

कमिश्नर फ़ूड द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में कलेक्टर जबलपुर द्वारा जांच दल का गठन किया गया। जांच दल द्वारा दिनांक 02.09.2025 को लगभग 140 पृष्ठ की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

प्रश्नगत सभी 11 राशन दुकान की मौका जांच की गई। भौतिक सत्यापन में राशन दुकानों पर पीडीएस स्टॉक की निम्नानुसार कमी पाई गई -

भौतिक सत्यापन में राशन दुकान पर पाई स्टॉक की कमी (अफ़रातफ़री की मात्रा)

क्रमांक	दुकान का नाम कोड	कोड	स्टॉक की कमी मात्रा (क्विंटल में)			
			गेहूँ	चावल	नमक	शक्कर
1	अमर उपभोक्ता सहकारी भण्डार	3316326	128	102.03	15.89	0
2	पूजा उपभोक्ता सहकारी भण्डार	3316331	546.78	618.12	0	0
3	नव शक्ति महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार	3316332	334.99	247.17	0	0
4	मां शारदा देवी महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार	3316333	1336.37	1095.93	0	0
5	संत रविदास नगर उपभोक्ता सहकारी भण्डार	3316396	94.18	184.79	0	2.70
6	मां नर्मदेश्वर प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार	3316395	271.62	398.62	14.38	7.00
7	नर्मदा उपभोक्ता सहकारी भण्डार	3316392	296.72	85.73	0	0
8	आदित्य प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार	3316311	132	81	0	0
9	शिवशक्ति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार	3316345	496.78	408.13	0	0
10	एकता प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार	3316156	100.57	146	0	0
11	सिटी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार	3316162	179.79	20.37	0	0
	योग		3917.8	3387.9	30.27	9.7

अफ़रातफ़री की गई उक्त स्टॉक की मात्रा का मूल्य निम्नानुसार है –

अफ़रातफ़री की गई स्टॉक मात्रा का मूल्य

क्रमांक	सामग्री	अफ़रातफ़री की गई मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (रुपये में)
1	गेहूँ	391.780 MT	98,16,047.00
2	चावल	338.789 MT	1,21,29,527.00
3	नमक	3.027 MT	27,243.00
4	शक्कर	0.97 MT	39,643.00
5	कुल योग		2,20,12,460.00 दो करोड़, बीस लाख, बारह हजार, चार सौ साठ रुपये

जांच में 11 राशन दुकान पर स्टॉक (मूल्य रुपये 2,20,12,460.00) की कमी सिद्ध पाई गई है। यह सिद्ध है कि राशन दुकान के संचालक गण द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्टॉक को वास्तविक हितग्राहियों को वितरण करने की बजाय रुपये 2,20,12,460.00 मूल्य के उक्त स्टॉक की अफ़रातफ़री कर आपराधिक कृत्य कारित किया गया है।

राशन दुकान का नियमित निरीक्षण कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न और अन्य सामग्री का वितरण वास्तविक उपभोक्ताओं तक सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला आपूर्ति नियंत्रक और संबंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की है। राशन दुकान पर भारी मात्रा में स्टॉक की कमी होने के बाद भी तत्कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक और संबंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

NIC हैदराबाद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उक्त 11 राशन दुकान से स्टॉक की अफ़रातफ़री की गई मात्रा को, स्टेट एडमिन लॉगिन का उपयोग कर, दिनांक 31.08.2022, 05.09.2022, 29.09.2022 एवं 31.10.2022 को, पीओएस मशीन/पोर्टल से घटाया गया है। यह कृत्य जिस आईपी एड्रेस से किया गया है, उक्त आईपी एड्रेस का उपयोग जबलपुर निगम क्षेत्र के लॉगिन आईडी द्वारा Aepds के अन्य कार्यों हेतु उपयोग किया गया है। NIC हैदराबाद से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करने पर यह भी स्पष्ट हुआ कि घटना दिनांक को भी उक्त यूजर आईडी से, उक्त आईपी एड्रेस के माध्यम से Aepds पोर्टल को एक्सेस किया गया है।

घटना दिनांक को उक्त 11 राशन दुकान में से 09 दुकान के क्षेत्र का प्रभार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती भावना तिवारी और 02 दुकान क्षेत्र का प्रभार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती सुचिता दुबे के पास था। तत्समय जिला आपूर्ति नियंत्रक का कार्यभार श्रीमती नुजहत बानो बकाई के पास और Aepds पोर्टल के मैनेजमेंट का कार्य DPMU (डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) श्री अक्षय कुमार खरे के पास था। जबलपुर नगर निगम क्षेत्र की दुकान के लिए उक्त आईपी एड्रेस के माध्यम से Aepds पोर्टल पर एक्सेस श्रीमती भावना तिवारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, श्रीमती सुचिता दुबे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, श्रीमती नुजहत बानो बकाई, जिला आपूर्ति नियंत्रक एवं श्री अक्षय कुमार खरे, DPMU को व्यावहारिक दृष्टि से उपलब्ध थी।

स्टॉक की अफ़रातफ़री की गई मात्रा को पीओएस मशीन/पोर्टल से अवैधानिक रूप से घटाने के लाभ ग्रहिता राशन दुकान के संचालकगण हैं, लेकिन शासकीय पोर्टल और जबलपुर नगर क्षेत्र के लिए उपयोग किए जा रहे आईपी एड्रेस पर राशन दुकान के संचालक की एक्सेस नहीं है। शासकीय पोर्टल और आईपी एड्रेस पर एक्सेस केवल कतिपय शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों तक सीमित है। अतः स्टॉक की अफ़रातफ़री की गई मात्रा को पीओएस मशीन/पोर्टल से अवैधानिक रूप से घटाने का कृत्य उन शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ही किया जाना संभव है, जिनके द्वारा पूर्व में उक्त आईपी एड्रेस को एक्सेस किए जाने की हिस्ट्री रही है। अतः प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि उक्त चारों व्यक्तियों ने अनुचित लाभ अर्जित करने की दुर्भावना के साथ मिलीभगत कर स्टॉक की अफ़रातफ़री की गई मात्रा को पीओएस मशीन/पोर्टल से अवैधानिक रूप से घटाने का कृत्य कारित किया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्टॉक को वास्तविक हितग्राहियों को वितरण करने की बजाय रुपये 2,20,12,460.00 मूल्य के उक्त स्टॉक की अफ़रातफ़री करना और अफ़रातफ़री की गई मात्रा को पीओएस मशीन/पोर्टल से अवैधानिक रूप से घटाने का आपराधिक कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के साथ-साथ मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 कि कण्डिका 13(2) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 सहपठित धारा 7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः कमिश्नर फ़ूड द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्टॉक को वास्तविक हितग्राहियों को वितरण करने की बजाय रुपये 2,20,12,460.00 मूल्य के स्टॉक की अफ़रातफ़री करने और अफ़रातफ़री की गई मात्रा को पीओएस मशीन/पोर्टल से अवैधानिक रूप से घटाने का आपराधिक कृत्य कारित में संलिप्त निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध थाना क्राइम ब्रांच में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है

1. श्री आकाश नेचलानी, विक्रेता, अमर उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316326)
2. श्री रामचरण विश्वकर्मा, सहायक विक्रेता अमर उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316326)
3. श्रीमती कविता नेचलानी, अध्यक्ष, अमर उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316326)
4. श्री गुंजन वेदी, विक्रेता, पूजा उपभोक्ता सहकारी भण्डार, (कोड क्रमांक 3316331)
5. श्री विशाल बर्मन, पूर्व विक्रेता, पूजा उपभोक्ता सहकारी भण्डार, (कोड क्रमांक 3316331)
6. श्रीमती प्रीति अवस्थी, अध्यक्ष, पूजा उपभोक्ता सहकारी भण्डार, (कोड क्रमांक 3316331)
7. श्री कपिल तिवारी, सहायक विक्रेता, नव शक्ति महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316332)
8. श्रीमती नीता तिवारी, अध्यक्ष, नव शक्ति महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316332)
9. श्रीमती नाजिया बेगम, विक्रेता, मां शारदा देवी महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316333)
10. श्री अभिषेक पटेल, सहायक विक्रेता, विक्रेता, मां शारदा देवी महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316333)
11. श्री सत्येन्द्र तिवारी, तत्कालीन सहायक विक्रेता, विक्रेता, मां शारदा देवी महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316333)

12. श्रीमति किरण जायसवाल, अध्यक्ष, विक्रेता, मां शारदा देवी महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316333)
13. श्री आयूष चौधरी, सहायक विक्रेता, संत रविदास नगर उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316396)
14. श्रीमति मीना चौधरी, अध्यक्ष, संत रविदास नगर उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316396)
15. श्री रामचरण विश्वकर्मा, विक्रेता, मां नर्मदेश्वर प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316395)
16. श्री दिनेश नेचलानी, अध्यक्ष, मां नर्मदेश्वर प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316395)
17. श्री अमर नाथ प्रधान, विक्रेता, नर्मदा उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316392)
18. श्री पीयूष अवस्थी, अध्यक्ष एवं सहायक विक्रेता, नर्मदा उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316392)
19. श्री राम अवतार विश्वकर्मा, विक्रेता, आदित्य प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316311)
20. श्री राहुल गुप्ता, नॉमिनी, आदित्य प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316311)
21. श्री हार्दिक धनोरिया, अध्यक्ष, आदित्य प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316311)
22. श्रीमति गीता राजपूत, विक्रेता, शिवशक्ति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316345)
23. श्री राजेश कुशवाहा, सहायक विक्रेता, शिवशक्ति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316345)
24. श्री अंशु जायसवाल, अध्यक्ष, शिवशक्ति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316345)
25. श्री राजकुमार चौधरी, विक्रेता, एकता प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316156)
26. श्री इमरान मंसूरी, सहायक विक्रेता, एकता प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316156) एवं विक्रेता, सिटी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316162)
27. श्रीमति कमर जहां मंसूरी, अध्यक्ष, एकता प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316156)
28. श्री मो अजहर, सहायक विक्रेता, सिटी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316162)
29. श्री हामिद मंसूरी, अध्यक्ष, सिटी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार (कोड क्रमांक 3316162)
30. श्रीमति भावना तिवारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, अनुविभाग गोरखपुर, जबलपुर
31. श्रीमति सुचिता दुबे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, अनुविभाग गोहलपुर, जबलपुर
32. श्री अक्षय कुमार खरे, डीपीएमयू (डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, जबलपुर
33. श्रीमति नुजहत बानो बकाई, जिला आपूर्ति नियंत्रक, जबलपुर
